Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खहुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी / टीए / 3274 / 2003 / नागौर होशियार सिंह बनाम बलबीर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो

एकलपीठ
श्री धूकलराम कसवां, सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रार्थी
श्री डूंगर सिंह अभिभाषक अप्रार्थी

<u>निर्णय</u>

यह नजरसानी प्रार्थना पत्र मण्डल की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 8–4–03 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

नजरसानी प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने नजरसानी मीमो में अंकित तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय निगरानी में वर्णित किये गये तथ्यों एवं वास्तविक कानूनी तर्को पर विचार किये बिना ही पारित किया गया है जो स्पष्ट रूप से एरर अपेरेन्ट आन दी फेस आफ दी रेकार्ड है। नायब तहसीलदार पीलवा ने अप्रार्थी संख्या 1 को बिना साक्ष्य लिये एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना मूल सिंह का गोदपुत्र मानकर नामान्तरकरण संख्या 653 दिनांक 1–3–95 को स्वीकृत कर अपने क्षेत्राधिकार से परे आदेश पारित किया है। इसलिये नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 653 पर पारित आदेश दिनांक 1–3–95 निरस्त किया जावे।

जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निर्णय दिनांक 8–4–03 को विधिसम्मत बताते हुये नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि नजरसानी का दायरा सीमित होता है। नजरसानी के माध्यम से प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में आर बी जे 2005(12)पेज 290 की नजीर पेश की।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 आर.बी.जे. (12) पेज 290 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "The scope of Review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 41 Rule 1 C.P.C. if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying cxercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 C.P.C., it is note permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review .jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be apeal in disguise."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1995(एस.सी) पेज 455 में प्रतिपादित सिद्धांत से भी यह स्पष्ट है कि नजरसानी की कार्यवाही किसी भी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 की परिधि से बाहर नहीं होना चाहिए। नजरसानी की शक्ति का उपयोग केवल मात्र उस स्थिति में ही किया जाना चाहिए जबकि आक्षेपित आदेश में अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि (error apparent from the Face of the Record) रह गयी हो। किन्तु नजरसानी का आधार यह नहीं हो सकता कि आलोच्य निर्णय गुणावगुण पर त्रुटिपूर्ण है। अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि ऐसी त्रुटि है जो कि अभिलेख को देखने मात्र से नज़र आवे और जिसे समझने के लिये तर्क–वितर्क की लम्बी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हो। पुनर्विलोकन बाबत् विधि की स्थिति स्पष्ट है कि गलत निर्णय (erroneous decision) एवं अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (error apparent from the Face of the Record) में अन्तर है। पुनर्विलोकन द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता। पुनर्विलोकन द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी / टीए / 3274 / 2003 / नागौर होशियार सिंह बनाम बलबीर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो
	मण्डल की पूर्व एकल पीठ ने अपने निर्णय में प्रार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों बाबत विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है। इसलिये नजरसानी के माध्यम से मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (धूकलराम कसवां) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/टीए/2668/2013/जयपुर मनोहर सिंह व अन्य बनाम जगदीश व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म में जारी हुए